न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 325/2022 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2022/325**
दायर दिनांक :– 07.11.2022 **निर्णय दिनांक :– 09.01.2026**

01. मोहनी पुत्री पोकरराम पत्नी गोरधनराम जाति मेघवाल निवासी छीला तह. लोहावट जिला फलोदी
02. फुलादेवी पुत्री पोकरराम पत्नी जयराम जाति मेघवाल निवासी नाचना तह. पोकरण जिला जैसलमेंर
03. खातु पुत्री पोकरराम पत्नी भूराराम जाति मेघवाल निवासी नोख तहसील बाप जिला फलोदी

वादीगण

बनाम

1. लिखमाराम पुत्र पोकरराम जाति मेघवाल निवासी नुरे की भुर्ज तहसील बाप जिला फलोदी
2. टुगी पत्नी मानाराम जाति मेघवाल निवासी नुरे की भुर्ज तहसील बाप जिला फलोदी
   भीखाराम पुत्र मोड़ाराम फौत के कायम मुकाम
3. मानाराम पुत्र भीखाराम जाति मेघवाल निवासी 68 एल.एल.पी रिड़मसर तह. पदमपुर जिला गंगानगर
4. शिवलाल पुत्र भीखाराम जाति मेघवाल निवासी 68 एल.एल.पी रिड़मसर तह. पदमपुर जिला गंगानगर
5. सोनाराम पुत्र भीखाराम जाति मेघवाल निवासी 68 एल.एल.पी रिड़मसर तह. पदमपुर जिला गंगानगर
6. हीराराम पुत्र भीखाराम जाति मेघवाल निवासी 68 एल.एल.पी रिड़मसर तह. पदमपुर जिला गंगानगर
7. डूंगरराम पुत्र भीखाराम जाति मेघवाल निवासी 68 एल.एल.पी रिड़मसर तह. पदमपुर जिला गंगानगर
   शिवलाल उर्फ शम्भूराम पुत्र भीखाराम फौत के कायम मुकाम
8. सीमादेवी पत्नी शिवलाल उर्फ शम्भूराम जाति मेघवाल निवासी 68 एल.एल.पी रिड़मसर तह. पदमपुर जिला गंगानगर
9. किशोर पुत्र शिवलाल उर्फ शम्भूराम जाति मेघवाल निवासी 68 एल.एल.पी रिड़मसर तह. पदमपुर जिला गंगानगर
10. पवन पुत्र शिवलाल उर्फ शम्भूराम जाति मेघवाल निवासी 68 एल.एल.पी रिड़मसर तह. पदमपुर जिला गंगानगर
11. अर्चना पुत्री शिवलाल उर्फ शम्भूराम जाति मेघवाल निवासी 68 एल.एल.पी रिड़मसर तह. पदमपुर जिला गंगानगर
12. निजरों पुत्री भीखाराम जाति मेघवाल निवासी 68 एल.एल.पी रिड़मसर तह. पदमपुर जिला गंगानगर
13. सुगनी पुत्री भीखाराम जाति मेघवाल निवासी 68 एल.एल.पी रिड़मसर तह. पदमपुर जिला गंगानगर
14. हवा पत्नी भीखाराम जाति मेघवाल निवासी 68 एल.एल.पी रिड़मसर तह. पदमपुर जिला गंगानगर

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

15. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

प्रतिवादीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री पप्पुराम मेघवाल अधिवादीगण
2 श्री ओमप्रकश गोदारा अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 1

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध मजबूत आधारों का एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का पेश किया। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थीगण का वाद प्रथम दृष्टया ही साबित है कि ग्राम कालू खां की ढाणी पटवार क्षेत्र नुरे की भुर्ज तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 186 रकाब 16.1550 हैक्टेयर एवं ग्राम नुरे की भुर्ज पटवार क्षेत्र नूरे की भुर्ज खेत खसरा नम्बर 155 रकबा 2.2581 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पिता पोकरराम एंव अप्रार्थी संख्या 3 ता 14 के पूर्वज भीखाराम के नाम 1/2–1/2 हिस्सा अनुसार सामलाती खातेदारी अधिकारों की आई हुई है। उक्त वादग्रस्त खसरान् की भूमि पूर्व में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पिता पोकरराम पुत्र पन्नाराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी तथा पोकरराम के फौत होने पर उक्त खसरान् की भूमि में पोकरराम के 1/2 हिस्सा की सम्पूर्ण भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व उसके भाई रामूराम को जरिये विरासत नामान्तरकरण संख्या 280 के प्राप्त हो गई। पोकरराम पुत्र पन्नाराम का सजरा खानदान इस प्रकार है कि उक्त वादग्रस्त खसरान् की भूमि में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 एंव रामूराम, मुतवफी पोकरराम पुत्र पन्नाराम के पश्चात उसके प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान होने से एवं उक्त वादग्रस्त खसरान् की भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 एवं रामूराम की सहदायिकी भूमि होने से प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 एवं रामूराम को 1/5–1/5 हिस्सा भूमि बंट में आती है। इसी अनुसार ही उक्त वादग्रस्त खसरान् की भूमि में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 एवं रामूराम मुतवफी पोकरराम के फौत होने पर उक्त वादग्रस्त खसरान् की भूमि में पोकरराम के 1/2 हिस्सा भूमि पर काबिज हुवे लेकन पोकरराम का फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 280 भरते समय अप्रार्थी संख्या 1 एवं उसके भाई रामूराम ने केवल मात्र अपने आपको मुतवफी पोकरराम का वारिस होना बताकर जानबूझ कर प्रार्थीगण का नाम दर्ज करने से छोड़ दिया और पोकरराम के सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा की भूमि अपने नाम जरिये विरासत नामान्तरकरण दर्ज करवा ली तथा पोकरराम का फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 280 अप्रार्थी संख्या 1 एवं रामूराम के नाम दर्ज होने के पश्चात रामूराम भी लाऔलाद अविवाहित ही फौत हो गया जिसका फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 579 भी अपने अकेले के नाम भरवाकर स्वीकृत करवा लियाजबकि रामूराम के प्रथम श्रेणी की वारिसान उसकी जायन्दा बहने भी थी। उक्त वादग्रस्त खसरान् की भूमि में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 प्रत्येक को 1/8–1/8 हिस्सा भूमि बंट में आती है तथा इसी अनुसार ही उनका उक्त वादग्रस्त खसरान् की भूमि पर आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा प्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त भूमि में अपने बंट एवं हिस्सा की भूमि में काश्त के मौसम में काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग उपभोग करती आ रही है। जिसमें आज दिन तक किसी ने भी किसी प्रकार

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

की कोई दखल अंदाजी नहीं की है। प्रार्थीगण अपने पक्ष में और अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी है कि उपरोक्त वर्णित भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि में प्रार्थीगण का अपने हिस्से की भूमि में चले आ रहे शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावें और न ही उक्त भूमि का किसी भी रूप से बेचान या हस्तान्तरण ही करे और मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। जिसका यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की और से अधिवक्ता श्री ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। शेष अप्रार्थीगण की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। उक्त प्रकरण में अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा न्यायिक दृष्टांत पेश किए जो निम्न प्रकार है–

1. 2006(1) RRT 623 महादेवी व अन्य बनाम राम मूर्ति
2. 2013(1) RRT 123 मोहरपाल व अन्य बनाम प्रभूसिंह

पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, नामान्तरकरण एवं अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से पेश उक्त दृष्टांतो का अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

नामान्तरकरण संख्या 280 मौजा नूरे की भुर्ज के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि भीखा पि. मोडा 1/2 हिस्सा, पोकर पि. पना 1/2 हिस्सा दर्ज थी। पोकर पि. पना के फौत होने पर इनके वारिसान के नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का अकंन है। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज राजस्व अभिलेख है। अप्रार्थी संख्या 1 रेकर्डेड खातेदार है। प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण के मध्य न्यायालय हाजा में वाद अन्तर्गत 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 जैरकार है। वादीगण के वाद में जवाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य सुनवाई उपरान्त ही निर्धारण किया जा सकता है कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण का पैतृक हक हिस्सा है या नहीं। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में भली भांति साबित नहीं होता है।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, नामान्तरकरण और जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि भीखा पि. मोडा 1/2 हिस्सा, पोकर पि. पना 1/2 हिस्सा दर्ज थी। पोकर पि. पना के फौत होने पर इनके वारिसान के नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का अकंन है। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज राजस्व अभिलेख है। अप्रार्थी संख्या 1 रेकर्डेड खातेदार है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण को आराजी के उपभोग उपयोग इत्यादि सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। अतः सुविधा का सन्तुलन बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति कारित हो सकती है। चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थीगण का दावा अन्तर्गत 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विचाराधीन है और प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का सन्तुलन दोनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं हुवे है।

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित नहीं होने से अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.01.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

Satya...

(सत्य नारायण–I आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)